THE DEPUTY CHAIRMAN: No statement. What the Minister said yesterday was that he would inform the House as to what had been done. Has anything been done, Mr. Minister?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA):

Madam, I was directed by the Chair yesterday that I should let the House know as soon as the information comes to me. I am here for that purpose since morning. The moment I get the information, I will inform the House. I think within half-an-hour, the information may come.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Okay. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: There would be no statement and no clarifications. It is good that the Minister has come to tell us.

DR. BIPLAB DASGUPTA: We are satisfied.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are happy to find that the Minister has been gallant enough. Not many Ministers offer to put their neck before the Rajya Sabha.

मंत्री जी, अब आपको इजाजत है कि आप जाकर मालूमात करके वापस आ जाइये।

Now, Shri Moolchand Meena, please.

RE. FILLING UP OF VACANCIES OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN RAILWAYS

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान रेल विभाग के अंदर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है इसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह सरकार हाउस के बाहर जाकर सामाजिक न्याय की बात तो करती है लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्ल्ड ट्राइब के इन अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में इस हाउस के अन्दर भी चर्चा हुई थी, रेल मंत्री जी ने यह कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के कर्मचारियों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा तो उन अन्याय करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जरूर में सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। लेकिन यह सरकार की गति इस प्रकार की है, न इस सरकार की आंखें है, न इस सरकार के कान है, न इस सरकार की आंखें है, न इस सरकार के कान है, न इस सरकार की आंखें है, न इस सरकार के कान है, न इस सरकार के कान है, न इस सरकार की कान है, न इस सरकार की आंखें है, न इस सरकार के कान है, न इस सरकार की आंखें है, न इस सरकार के कान है, न इस कर

हाथ-पैर हैं, केवल इनके मुंह जरूर हैं जो कई प्रकार की घोषणाएं करते रहते हैं, कई प्रत्तार की बातें करते रहते हैं। लेकिन प्रैक्टीकल में जो काम होना है, जो सामाजिक न्याय इन लोगों को मिलना है उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुझे आशा थी कि राम विलास पासवान जी जो शैड्युल्ड कास्ट से आते हैं वह शायद शैड्युल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को रेल विभाग के अंदर तो अवश्य राहत दिलायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस सदन के भाध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा ले ली गई, रिज़ल्ट निकाल दिए गए लेकिन उन लोगों को पोस्टिंग नहीं दी गई है। इस प्रकार की कार्यवाही पटना और जालंधर में हुई है। साथ ही शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ पदोन्नति में जिस प्रकार का व्यवहार आज हो रहा है वह बहुत अशोभनीय है। उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जितनी निंदा हम करें उतनी ही कम है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी) पीठासीन हुई]

जुनियर स्केल के लोगों को प्रोमोशन दे दिए जाते हैं लेकिन सीनियर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारियों को प्रोमोशन नहीं दिए जाते हैं। मैंने यह बात पिछले सत्र में भी उठायी थी कि खंबई के अंदर सलैक्शन ग्रेड में प्रोमोशन होने थे लेकिन जो जनियन लोग थे उनको प्रोमोशन दे दिया गया जब कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड टाइब के कई कर्मचारियों को प्रोमोशन नहीं दिया गया। स्थिति यह है कि जब वे कर्मचारी लोग प्रोमोशन के लिए मिलते हैं तो यह कहते हैं कि जगह नहीं है और प्रोमोशन आए दिन महीने, दो महीने में दो-तीन कर्मचारियों का प्रोमोशन करते रहते हैं। मैडम, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सामाजिक न्याय की बात तो पब्लिक में करते हैं, सामाजिक न्याय शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को रेल विभाग के अंदर दिलाया जाए जिससे उनके जो अधिकार हैं, जो नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई है, रिज़ल्ट निकाल दिए गए लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई और जो प्रोमोशन के अधिकारी हैं जिनको प्रोमोशन मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलनी चाहिए उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है। उनका यह न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहुंगा कि आप सामाजिक न्याय की बातें करते हुए एक कार्य को परिणत रूप में प्रैक्टीकल रूप में सामाजिक न्याय दिलाएं जिससे शैड्युल्ड कास्ट और शैंड्यूल्ड ट्राइब के कर्मचारियों का आतम-संतोष बढ़े। साथ ही मैडम, इस रेल विभाग के अंदर जो दिलत वर्ग के लोग हैं इनके अधिकारियों और कर्मचारियों, को मकान आवंटन में भी दुव्यंक्हार किया जाता है और आवंटन करते समय इनको आवंटन नहीं किया जाता है जबकि रिज़र्व कोटे के अनुसार जितने मकान उनको मिलने चाहिएं उतने मकान उनको नहीं दिए जाते। आज वे कर्मचारी शहरों के अन्दर किराये के मकानों में रहते हैं जबकि मालिक मकान भी उनको किराए पर मकान नहीं देते हैं। यह दुर्दशा उनकी हो रही है।

मैडम, मैं यह चाहूंगा कि सामाजिक न्याय का नारा देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय भी करिए। केवल नारों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहुंगा।

धन्यवाद ।

RE. BAN ON TRANSPORTATION OF WOOD FROM JAMMU & KASHMIR

SHRI SAIFUDDIN SOZ (Jammu & Kashmir): Madam Vice-Chairperson, earlier I wanted you to be here to support me, but now that you have gone to that exalted position, I crave your indulgence to understand the dimension of the crisis in my mind.

Madam, the people of Kashmir have suffered, all these seven years, great economic deprivation apart from political psychological setbacks. As against that backdrop, now there is a crisis, or, a series of crises, which the people of Kashmir are facing. The felling of trees is banned. It should be banned, it should be regulated I have no objection. But now, the transportation of dry wood, fallen timber, everything, is banned with the result that there is a crisis in Kashmir where all the people do not have gas connections. So the people have to have to firewood to bum their choolhas. And there are mosques, which have connected hamams, so that they get warm water in the winter season, but there is no firewood available for them Similarly, packaging stuff is reguired for horticulture and that packaging stuff also is not available. No popular tree or willow tree can be felled, even under the orders of the Chief Conservator of Forests. There is a total

Madam, it so happened that a PIL was moved before the hon. Supreme Court I am

not going into the merits of that case nor do I raise objections to the Court's interim order. But whatever was the order passed by the Supreme Court of India, it has* resulted in a series of crises in Kashmir where even the timber that had been earmarked for two years to be exported outside the State we get some reenue through supply of sleepers to the Railways and deodar timber to other States and Government departments is not being transported. So everything is at a standstill. Also, the department which maintains the depots where timber can be purchased and which pays salaries to its employees out of the sales it is a commercial department has no money to pay salaries to their employees. Ten thousand employees of the Forest Department have not received even their salaries for two months. That's why I have raised this matter here.

The Government of Jammu & Kashmir will, of course, approach the Court. In fact, the PIL was moved by vested interests, and they said in that PIL that all the timber flows to Pakistan and is burnt by militants. So the Court gave a blanket order. A clear national policy is enunciated. There is a total ban. But the Jammu & Kashmir State cannot be brought under the purview of a blanket order like this because it is a poor State and a border State, and the people there have to use firewood. But even dry wood, which is rotten, is also banned from transportation.

Therefore, through this august House—through you, Madam Vice-Chairperson—I am urging the hon. Prime Minister to summon the Attorney-General of India to understand the dimensions of the crisis that the Kashmir Valley is facing, because it is a public issue, a very important issue, and we have already suffered enough there.

The hon. Chief Minister can come here. His D.O. letter has come to the hon. Prime Minister. The Attorney General should understand the dimension of this crisis. The people have a crisis. They have already suffered economic deprivation all these seven years. Madam, you understand the crisis. We do not have sufficient electricity there. So, firewood has to be there. Therefore, the Attorney General should be asked to hold discussion with the hon. Prime